न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मलसीसर

पीठासीन अधिकारी : पंकज शर्मा
(आर.ए.एस.)

जस्व वाद संख्या 42/2021 (GCMS No.2021/37)

सांवलराम पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जला झुन्झुनू (राज.)

–प्रार्थी

बनाम

1. किशनाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.) मृतक
   1/1. महाकोरी पत्नी किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
   1/2. रामनिवास पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
   1/3. जगदीश प्रसाद पुत्र किशनाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
2. गोविन्दा पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
3. भागीरथ पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
4. मोहन पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
5. रामकुमार पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
6. लेखराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
7. श्योदान पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
8. हरसिंह पुत्र कानाराम पुत्र कानाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू (राज.)
9. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा मलसीसर तहसील मलसीसर जरिये शाखा प्रबन्धक।
10. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुझुनूं
11. बनवारीलाल पुत्र केशुराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी बागा पड़तान तहसील मलसीसर

अनावेदकगण

पं.१

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

ल प्रार्थी – मोहम्मद रशीद खान
ील अप्रार्थी 1,3,5,7,8 – श्री राजकुमार गढ़वाल
ील अप्रार्थी संख्या 11 – मुकर्रम अंसारी

निर्णय

दिनांक 19/02/25

संक्षेप मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम ढाणी ागा पडतान पटवार हल्का गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 74 जिसके खसरा नम्बर 5 रकबा 2.61 हैक्टर, खसरा नम्बर 60 रकबा 0.16 हैक्टर, खसरा नम्बर 61 रकबा 1.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 71 रकबा 0.12 हैक्टर, खसरा नम्बर 72 रकबा 0.08 हैक्टर, खसरा नम्बर 74 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 75 रकबा 0.30 हैक्टर कुल किता 7 कुल रकबा 4.37 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि प्रार्थी की खातेदारी काश्तकारी की भूमि है। इसी प्रकार वाके ग्राम ढाणी बागा पडतान पटवार हल्का गोखरी तहसील मलसीसर जिला झुन्झुनू की सरहद में भूमि हाल खाता संख्या 15 जिसके खसरा नम्बर 100 रकबा 3.34 हैक्टर, खसरा नम्बर 6 रकबा 4.73 हैक्टर, खसरा नम्बर 86 रकबा 2. 04 हैक्टर, खसरा नम्बर 87 रकबा 0.07 कुल किता 4 कुल रकबा 10. 18 हैक्टर भूमि अवस्थित है। जो कि अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 8 की खातेदार काश्तकारी की भूमि है। कानाराम की पत्नी चंदा देवी जो कि राजस्व रिकार्ड में सह खातेदार है कि मृत्यु हो चुकी है तथा उसके वारिसान राजस्व रिकार्ड में खातेदार है इसलिए उसको पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी राजकीय रास्ता खसरा नम्बर 40 से अपने खेत खसरा नम्बर 5 में जाने हेतु खसरा नम्बर 7 गैर मुमकिन जोहड़ से होते हुये खसरा नम्बर 6 में से होते हुये अपने खेत खसरा नम्बर 5 में जाता है। प्रार्थी उक्त रास्ते का उपयोग उपभोग अपने पुर्वजों के समय से ही करता आ रहा है। दिनांक 25/1/2021 को प्रार्थी ने उक्त अप्रार्थीगण को उक्त रास्ते को कटानी दर्ज कराने हेतु कहा तो उक्त अप्रार्थीगण ने मना कर दिया इस बाबत प्रार्थी ने तहसीलदार महोदय मलसीसर से सम्पर्क किया तहसीलदार महोदय ने उक्त रास्ते को कटानी हेतु करने से मना कर दिया और कहा कि सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना मैं उक्त रास्ते को कटानी नहीं कर सकता हू। इसलिए यह प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के न्यायालय में पेश करना आवश्यक हुआ है।अन्त में प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अपने खेत ख0न0 5 में आने जाने हेतु खसरा नम्बर 40 गै0मु0 रास्ते से खेत खसरा नम्बर 6 व 7 में से होते हुये 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में कटानी दर्ज कर दिलवाया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अनावेदकगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्यों के संबंध में कोई उजर एतराज हो तो उतर देने के लिए निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपसंजात होकर जवाब पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। साथ ही तहसीलदार मलसीसर से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के प्रावधानों के तहत मौका जांच कर रिपोर्ट चाही गई। अनावेदक संख्या 1, 3, 5, 7, 8 की ओर से एडवोकेट राजकुमार गढ़वाल ने वकालतनामा पेश किया परन्तु जवाब पेश नहीं किया। अनावेदक संख्या 11 की ओर से एडवोकेट मुकर्रम अंसारी ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10

कर प्रार्थना पत्र में बतौर पक्षकार बनाये जाने का निवेदन किया। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र ...र किया जाकर बतौर पक्षकार अप्रार्थी संख्या 11 बनाया गया।

अनावेदकगण संख्या 1/1 लगायत 1/3, 2, 4, 6 लगायत 9 की ओर से कोई ...संजात नहीं हुआ। पक्षकारान को नोटिस विधिवत तामिल होने के पश्चात सुनवाई हेतु ...र्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपसंजात नहीं होते है तो यह ...मानकर कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्वि दिये जाने में उन्हे कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्व आदेश 9 नियम 6 के तहत एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थी संख्या 1/1 लगायत 1/3, 2, 4, 6 लगायत 9 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार मलसीसर ने अपने पत्र क्रमांक 1977 दिनांक 13.12.2023 से अपनी मौका रिपोर्ट प्रेषित की गई। तहसीलदार मलसीसर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि प्रार्थी के खेत ख0न0 5 में आने जाने के लिये नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शित अनुसार रास्ता दिये जाने में अप्रार्थीगण सहमत है। जिसकी लम्बाई ख0न0 6 1040 वर्गमीटर ख0न0 4 में 100 है। खसरा नम्बर 4 के खातेदार अप्रार्थी संख्या 11 ने बिना प्रतिफल के ख0न0 4 में से रास्ता दिये जाने में सहमत है। ख0न0 6 के खातेदारान द्वारा मौके पर प्रचलित रास्ते को बिना प्रतिफल के उनकी खातेदारी में गै0मु0 रास्ता दर्ज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना बताया।

जवाब देही पूर्ण होने पर बहस विद्वान अधिवक्तागण श्रवण की गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये ख0न0 6 में से चाहा गया रास्ता दिये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या 3, 5, 7, 8 ने दौराने बहस प्रचलित रास्ते को बिना प्रतिफल खातेदारान की खातेदारी में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया। विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 11 ने भी खेत ख0न0 4 में से बिना प्रतिफल के गै0मु0 रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहीर किया।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251क के नियम 1(ख) में स्पट है कि "कोई अभिधारी या अभिधारियों का कोई समूह अपनी जोत या, यथास्थिति, उनकी जोतो तक पहूंचने के लिए अन्य खातेदार की जोत में से होकर एक नया मार्ग बनाना चाहता है या किसी विद्यमान मार्ग को विस्तारीत या चौड़ा करना चाहता है" – और मामला पारस्परिक सहमति से तय नहीं होता है तो ऐसा अभिधारी या, यथास्थिति, ऐसे अभिधारी ऐसी सुविधा के लिए संबंन्धित उपखण्ड अधिकारी को आवेदन कर सकेंगे और उपखण्ड अधिकारी, यदि संक्षिप्त जांच के पश्चात उसका समाधान हो जाता है कि –

1. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है और
2. अन्य खातेदार की जोत में से होकर, विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में, पहूंचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर

आदेश द्वारा, आवेदक को, अभिधारी, जो उस भूमि को धारित करता है, द्वारा सीमांकित या ... लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह से कम से कम तीन फुट नीचे पाइपलाइन बिछाने ... लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस अभिधारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है, दर्शाया ...ये, भूमि से होकर, और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम ...ट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए, उस अभिधारी को, जो उस भाग को धारित करता है, जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नय मार्ग बनाने या विद्यमान मार्ग को चौड़ा करने का अधिकार मंजूर किया जाये, ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये, अनुज्ञात कर सकेगा।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों, तहसीलदार की मौका रिपोर्ट एवं विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में प्रार्थी की ओर से अपनी खातेदारी काश्तकारी भूमि ख0न0 5 में आने जाने हेतु ख0न0 6 मेंसे रास्ता चाहा गया है। खेत ख0न0 4 व 6 के खातेदार बिना प्रतिफल के तहसीलदार मलसीसर की मौका रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ते को अपनी खातेदारी में गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाये जाने में सहमत है। अप्रार्थीगण की सहमती के आधार पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित प्रतीत होता है।

निर्णय

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी को खेत खसरा नम्बर 5 में आने–जाने के लिये खेत खसरा 4 व 6 में से तहसीलदार मलसीसर की रिपोर्ट में लाल स्याही से दर्शित रास्ते को 4 मीटर चौड़ा रास्ता राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। रास्ता खातेदारान की खातेदारी में बना रहेगा। तहसीलदार मलसीसर को निर्देशित किया जाता है कि ख0न0 4 व 6 में से रास्ते में आने वाली भूमि की खातेदारी खातेदारान के नाम रखते हुये राजस्व रिकार्ड में गै0मु0 रास्ता कायम किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19/2/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/2/25

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी,
मलसीसर

उपखण्ड अधिकारी
मलसीसर